ग्राम पंचायत गोला, विकास खण्ड भटियात, तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 **प्रस्तावना {क}:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत गोला , विकास खण्ड भटियात जिला चम्बा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति सुमन लता	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति कुशमा देवी	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री संजय कुमार	18-09-09 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान न करना।	0.70
2 .	6.	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना।	0.06
3.	7.	अनुदान राशियों का अधिक खर्च करना ।	0.24
4 .	7.1	अनुदान राशियों का अवरोधन।	11.10
5.	9	निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत न करना।	विवरणानुसार

6.	10	निविदाओं को पूल करना।	0.23
7 .	11	निर्माण कार्य किए बिना भुगतान करना	0.54
8.	12	औपचारिकता को पूर्ण किए बिना क्रय	3.08
9 .	13 .	निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करना	4.61

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत गोला, विकास खण्ड भटियात, तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा के अवधि 01/4 /2014 से 31/03 /2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 11-09-2017 से 15-09-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय गोला में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 09 /14, 02/16 व 09/16 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 07/14, 04/15 व 02/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत गोला, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:197 दिनांक 14.9.17 द्वारा सचिव, पंचायत गोला से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति :- ग्राम पंचायत गोला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1} स्वः स्त्रोत :- ग्राम पंचायत गोला के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	132711	33195	165906	2450	163456
2015-16	163456	121344	284800	14293	270507
2016-17	270507	32122	302629	79028	223601

{2} अनुदान :-ग्राम पंचायत गोला के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	915891	1214349	2130240	1802551	327689
2015-16	327689	451968	779657	487151	292506
2016-17	292506	2498475	2790981	1681473	1109508

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	HPSCB HATLI	18510107964	10079
2.	----do------	18510107369	228
3.	----do------	18510107372	57994
4.	----do------	18510105839	226
5.	----do------	18510104959	792
6.	----do------	18510103718	05
7.	----do------	18510105211	00
8.	----do------	18510107370	00
9.	----do------	18510103710	133996
10.	----do------	18510107373	882973
11.	----do------	18510107371	307891
12.	PGB HATLI	81000265035	9082
		CASH IN HAND	57
		TOTAL	1403323

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹1403323

(ख)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क +ख):-₹1333109

अन्तर ₹70214

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करने के कारण ₹0.70 लख का अन्तर :-

ग्राम पंचायत गोला की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था,जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-17 को पैरा 4.1 के अनुसार रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्त शेष में **₹70214** का अन्तर था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक भाग आय तथा दूसरा भाग व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी

समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.06 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्वःस्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत के राजस्व ₹5980 की वसूली शेष थी ।

गृह कर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्रप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	3180	5500	8680	1640	7040
2015-16	7040	5720	12760	140	12620
2016-17	12620	6120	18740	12760	5980

7 अनुदानों का प्राप्त राशि से ₹0.24 लाख अधिक व्यय करने बारे :-

पंचायत सचिव गोला द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान 13th FC ₹1421, IAY **₹19500**, RAY **₹2700** के शीर्ष के अन्तर्गत **₹23621**, इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से **₹23621** अधिक व्यय किए गए। जोकि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

7.1 अनुदान ₹11.10 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्धारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹1109508** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्धारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि

को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा l इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत गोला को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए l

8 रसीद बुकें न प्रस्तुत करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में चयनीत माह की रसीद बुकें अंकेक्षण में आवयश्क जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में चयनित माह में वसूली आय की सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अत: रसीद बुकों को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तदानुसार इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

9 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था l निर्माण कार्यों से चयनित माह के सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा सभी निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत: निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

10 ₹0.23 लाख के क्रय की निविदाओं को pool करने बारे:-

निम्न लिखित बिल/वोउचरों कि जाँच करने पर पाया गया कि इनके अन्तर्गत कि गई खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही है :-

(क) स्व स्त्रोत निधि :

(i)वा.सं 7 से 39 माह 05/16 मै० पूर्ण चन्द डोगरा सिहुन्ता, ₹23050 (602kg सरिया व 5 तसला) :-

(1)मै० डोगरा कैरीयर सिहुन्ता :- 01899-265555

(2)मै० विक्की एंड कम्पनी सिहुन्ता :- --यथोपरि-

(3)मै० सरवन वेल्डिंग वर्क सिहुन्ता :- 86268-04535

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त वाउचर के अंतर्गत की गई खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही था जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि निविदाओं को pool किया गया है जिसके कारण उक्त खरीद में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट कि जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने उपरांत नियमित करवाया जाये।

(**ख)** उक्त निविदाओं की जाँच करने पर पाया गया कि मै० डोगरा कैरीयर सिहुन्ता की निविदा निम्न दर की पाई गई थी व खरीद भी इसी फर्म से करनी अपेक्षित थी जबकि जाँच में पाया गया कि भुगतान मै० पूर्ण चन्द डोगरा को किया गया था जोकि अनुचित था। निम्न दर की फर्म की निविदा के स्थान पर किसी अन्य फर्म से खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 निर्माण कार्य किए बिना ही ₹0.54 लाख का व्यय दर्शाना :-

निर्माण कार्य का नाम :- परोल मट्टा में कच्चा तालाब का निर्माण

वा.सं व माह :- 6 से 8 माह 07/14

व्यय कुल राशि :- ₹ 53856

निधि का नाम :- मध्य हिमालयन परियोजना

अंकेक्षण के दौरान उक्त निर्माण कार्य की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य पर कुल ₹53856 पंचायत द्वारा व्यय कर दी गई है परन्तु न ही उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका न ही मध्य हिमालयन परियोजना इकाई द्वारा व न ही पंचायत द्वारा तैयार की गई है व न ही

(परिशिष्ट-2 अनुसार) उक्त निर्माण कार्य हुआ है। जोकि एक अतिगंभीर मामला है। जिसकी विभागीय जाँच की जाए। बिना निर्माण कार्य के **₹53856** को भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि को उत्तरदायी से दण्ड ब्याज सहित वसूल कर उक्त निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 3.08 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹307605** स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत गोला को अवगत करवाया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 क्रय की गई ₹4 .61 लाख निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 , 26, 27, व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु पंचायत के अवधि 1-4-14 से 31-3-17 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-4** पर **₹460541** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है । जोकि एक गम्भीर मामला है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत गोला को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम

पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली उत्तरदायी से करके पंचायत निधि में जमा की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

14 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत गोला को अवगत करवाया गया।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही

15 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विविध अनियमितताएं :- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

17 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

18 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(7)9/2017 खण्ड–1–1739–1742 दिनांक 8.3.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत गोला, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881